"विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुक्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत, क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 205-इ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 सितम्बर 2005-भाद्र 11, शक 1927

ेविधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2005

क्रमांक 7066/21-अ/प्रारुपण/04.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 24-8-2005 को राज्यपाल की अनुमति प्रप्त हो चुकी है, एतदृद्वारा सुर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. गोयल, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 16 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005

विषय-सूची

खण्ड :

- संक्षित नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
- 2. परिभाषाएं.
- राजकोषीय प्रबंध सिद्धांत.
- विधान सभा के समक्ष रखने के लिए राजकोषीय नीति का विवरण.
- राजकोषीय पारदर्शिता के लिए उपाय.
- अनुपालन लागू करने के लिए उपाय.
- नियम बनाने की शक्ति.
- 8. 🐪 नियमों का विधान मंडल के समक्ष रखा जाना.
- 9. सद्भावनापूर्वक को गई कार्रवाई का संरक्षण.
- 10. सिविल न्यायालय क्षेत्राधिकार का वर्जन,
- अधिनियम किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं.
- 12. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

छत्तीसगढ् अधिनियम (क्रमांक 16 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005

राजकोषीय प्रबंध में विवेक, सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार को उत्तरदायित्व सींपने, राजस्व घाटे की क्रमिक समाप्ति, द्वारा वित्तीय स्थिरता, राजकोषीय घाटे में कटौती, राजकोषीय वहनीयता के अनुसार विवेकपूर्ण ऋण प्रबंध, सरकार के राजकोषीय कार्यों में अधिकाधिक पारदर्शिता और मध्यावधि ढांचे तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों में राजकोषीय नीति के संचालन हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 कहा जाएगा.

संक्षित नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

- (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है.
- (3) यह राजपंत्र में इसके प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- 2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :--

परिभाषाएं.

- (क) ''बजट'' से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्य विधानमण्डल के सदन में रखा गया वार्षिक वित्तीय विवरण;
- (ভ্রে) "चालू वर्ष" से अभिप्रेत है आगामी वित्तीय वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष;
- (ग) ''आगामी वर्ष'' से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष जिसके लिए बजट प्रस्तुत किया जा रहा है;
- (घ) ''वित्तीय वर्ष'' से अभिप्रेत हैं, 1 अप्रैल से शुरू होने वाला और आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष;
- (ङ) "जीएसडीपी" से अभिप्रेत हैं वर्तमान बाजार मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद;
- (च) ''राजकोषीय घाटा'' से अभिप्रेत है राजस्व प्राप्तियों, ऋण की वसूली और गैर् ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक होने वाले सकल वितरण (ऋण चुकौतियों को छोड़कर);
- (छ) ''राजकोषीय संकेतक'' से अभिप्रेत है ऐसा संकेतक जैसा कि राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति के मृल्यांकन के लिए विहित किया जाए;
- (ज) ''राजकोषीय लक्ष्य'' से अभिप्रेत है अंकीय उच्चतम सीमा और राजकोषीय संकेतकों के लिए कुल राजस्व प्राप्तियों या जीएसडीपी का अनुपात;
- (झ) ''विहित'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
- (ञ) "पिछले वर्ष" से अभिप्रेत है चालू वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष;

(ट) ''राजस्व घाटा'' से अभिप्रेत हैं राजस्व व्यय और कुल राजस्व प्राप्तियों (टीआरआर) के बीच का अंतर:

स्पष्टीकरण :—''कुल राजस्व प्राप्तियों '' (टीआरआर) में राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियां (कर और करेत्तर दोनों) तथा केन्द्र से चालू अंतरण (अनुदान और केन्द्रीय करों में राज्य के अंश राहित) शामिल हैं;

(ठ) ''कुल देयताओं'' से अभिप्रेत है राज्य की समेकित निधि और राज्य के लोक लेखा के अंतर्गत अपने वाली देयताएं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं विशेष प्रयोजन के साधन, गारंटी सहित तथा अन्य समकक्ष लिखतों द्वारा लिए गए उधार शामिल होंगे जिसमें मूलधन या ब्याज का शोधन राज्य बजट से किया जाता है.

राजकोषीय प्रयंध सिद्धांत.

- (1) राज्य सरकार राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा कम करने के समुचित उपाय करेगी जिससे राजस्व घाटा 31 मार्च, 2009 तक दूर हो जाए तथा राजकोषीय घाटा को 31 मार्च, 2009 तक जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक नीचे लाया जा सके.
- (2) राज्य सरकार इसके द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी-
 - (अ) इस अधिनियम के प्रारंभ होने तथा 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा के कमी के लिए वार्षिक लक्ष्य,
 - (ब) समाश्रित दायित्व के रूप में प्रत्याभूति तथा कुल दायित्वों के जीएसडीपी के प्रतिशत का वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण.

परन्तु आंतरिक व्यवधान अथवा प्राकृतिक आपदाओं या कोई ऐसा विशिष्ट आधार जिसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, के कारण राज्य सरकार के वित्त पर अप्रत्याशित मांगों के आधार या आधारों पर, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा इस उपबन्ध में विनिर्दिष्ट सोमाओं से इस शर्त के अध्यर्धान बढ़ सकेगा.

विधान सभा के समक्ष रखने के लिए राजकोषीय नीति का विवरण.

- (1) राज्य सरकार हर-एक वित्तीय वर्ष में विधान सभा के सदन में वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदानों की मांगों के साथ निम्नलिखित विवरण रखेगा, अर्थात् :--
 - (क) वृहद् आर्थिक संरचना विवरण;
 - (ख) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण; और
 - (ग) राजकोषीय नीति योजना विवरण.
- (2) वृहद् आर्थिक संरचना विवरण यथानिर्धारित स्वरूप में होगा और उसमें राज्य की अर्थव्यवस्था का विहंगावलोकन, वृद्धि का विश्लेषण और जीएसडीपी की क्षेत्रीय संरचना, राज्य सरकारी वित्त और भावी संभावनाओं से संबंधित मूल्यांकन शामिल होगा. विशेष रूप से और पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वृहद् आर्थिक संरचना विवरण में निम्नलिखित से संबंधित मूल्यांकन शामिल किया जाएंगा :—
 - (एक) जीएसडीपी में वृद्धि
 - (दो) राज्य का राजकोषीय संतुलन जैसा कि राजस्व संतुलन और सकल राजकोषीय संतुलन में प्रतिबिंबित हो.

- (3) प्क) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण राज्य सरकोर के राजकोषीय प्रबंध के उद्देश्य और अंतर्निहित पूर्वानुमान के स्पष्ट निरूपण के साथ विहित राजकोषीय संकेतकों के लिए तीन-वर्ष के चल लक्ष्यों के ऐसे स्वरूप में रखा जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए.
 - (दो) मध्याविध राजकोषीय नीति विवरण में विशेषत: और उप धारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राजकोषीय संकेतकों के पीछे विविध पूर्वानुमान और निम्न-लिखित से संबंधित वहनीयता का निर्धारण शामिल किया जाएगा :—
 - (क) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन;
 - (ख) उत्पादक आस्तियों के निर्माण के लिए ऋण सहित पूंजीगत प्राप्तियों का प्रयोग;
- (4) राजकोषीय नीति योजना विवरण ऐसे स्वरूप में होगा जैसा कि विहित किया जाए और उसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल होंगी,
 - (एक) आगामी वर्ष के लिए कराधान, व्यय, ऋण लेने और अन्य देयताओं, ऋण देने, निवेश, अन्य आकस्मिक देयताओं, सार्वजनिक सम्पत्ति/उपयोगिताओं के लिए उपयोगकर्ता प्रभार एवं गारंटी जैसी गतिविधियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की गतिविधियों के लिए राज्य सरकार की राजकोषीय नीतियां जिनके संभाव्य बजटीय निहितार्थ होते हैं;
 - (दो) आगामी वर्ष के लिए राजकोषीय क्षेत्र में राज्य सरकार की योजनागत प्राथमिकताएं;
 - (तीन) महत्वपूर्ण राजकोषीय उपाय और कराधान, सब्सिडी, व्यय, ऋण लेना और सार्वजनिक सम्पत्ति/उपयोगिताओं पर उपयोगकर्ता प्रभार से संबंधित राजकोषीय उपायों में किसी प्रमुख विचलन के लिए औचित्य;
 - (चार) राज्य सरकार की वर्तमान नीतियों का मूल्यांकन बनाम धारा 3 में निर्धारित राजकोषीय प्रबंध के सिद्धांत, धारा 4 की उपधारा 3 (1) में मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में निर्धारित राजकोषीय उद्देश्य.
- 5. (1) राज्य सरकार सार्वजनिक हित में अपने राजकोषीय कार्यों में अधिकाधिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने और वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदानों की मांगें तैयार करने में जहां तक व्यवहार्य हो वहां तक गोपनीयता को कम रखने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी.

राजकोषीय पारदर्शिता के लिए तपाय

- (2) विशेषतः और पूर्ववर्ती उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार बजट के प्रस्तुतीकरण के समय ऐसे स्वरूप में जैसा कि विहित किया जाए, विस्तृत सूचना के साथ निम्नलिखित के संबंध में प्रकटीकरण करेगा:
 - (एक) लेखाकरण मानकों में उल्लेखनीय परिवर्तन, राजकोषीय संकेतकों की गणना पर प्रभाव डालने . वाली या संभाव्य रूप से प्रभाव डालने वाली नीतियां और संव्यवहार;
 - (दो) अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से,लिए गए ऋणों के ब्यौरे.
- (3) जब कभी राज्य सरकार बिना शर्त के और ठोस मात्रा में किसी अलग कानूनी संस्था के मूलधन की चुकौती और/या ब्याज अदा करती है तो उसे ऐसी देयता को राजस्व के ऋण के रूप में ऐसे स्वरूप में जैसा कि विहित किया जाए दिखाना चाहिए.

(4) राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमण्डल के समक्ष बजट के साध-साथ सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या और संबंधित वेतनों का ब्यौरा देने वाली विशेष विवरणियों का प्रकाशन रखेगी.

अनुपालन लागू करने के 6. (1) लिए उपाय,

वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री (जो इसमें इसके पश्चात् वित्त मंत्री के रूप में विनिर्दिष्ट है) हर तिमाही में बजट अनुमानों के संदर्भ में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा करेंगे और ऐसी समीक्षाओं के निष्कर्ष विधान सभा के सदन में रखेंगे.

(2) जब कभी राजकोषीय नीति योजना विवरण या इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों में उल्लिखित अंतर-वर्षीय लक्ष्यों से या तो राजस्व में कभी आती है या व्यय अधिक होता है तब राज्य सरकार को राजस्व बढ़ाने और/या व्यय में कटौती करने, जिसमें राज्य की समेकित निधि से अदा और व्यिनयोजित की जाने वाली राशियों में कटौती शामिल है, के लिए यथोचित उपाय करने चाहिए.

> परन्तु संविधान के अनुच्छेद 202 के खण्ड (3) के अंतर्गत राज्य की समेकित निधि पर ऐसे प्रभारित व्यय या अन्य किसी व्यय पर इस उप-धारा में कोई लागू नहीं होगा जो किसी करार या संविदा के अंतर्गत करना आवश्यक है और जिसे स्थिगित या कम नहीं किया जा सकता.

- (3) (एक) इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए प्रावधान को छोड़कर इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार पर डाली गई किसी बाध्यता की पूर्ति में विधानमण्डल के अनुमोदन के बिना किसी विचलन की अनुमति नहीं होगी
 - (दो) जब अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण राज्य सरकार पर इस अधिनियम के अंतर्गत डाली गई बाध्यता की पूर्ति में कोई विचलन होता है तब वित्त मंत्री विधान सभा के सदन में निम्न-लिखित को स्पष्ट करते हुए बयान देंगे :---
 - (क) इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार पर डाली गई बाध्यता की पूर्ति में ऐसा विलचन:
 - (ख) क्या ऐसा विचलन भारी मात्रा में और वास्तविक या संभाव्य बजटीय परिणामों से संबंधित है; तथा
 - (ग) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय.

नियम ठनाने की शक्ति. 7. (1)

राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों का पालन करने के लिए नियम बना सकेगी.

- (2) ऐसे नियमों में विशेषत: और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित बातों के बारे में सभी या किसी का प्रावधान होगा, अर्थात् :---
 - (क) धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किये जाने वाले वार्षिक लक्ष्य;
 - (ख) धारा 4 की उपधारा (3) (एक) के प्रयोजन के लिए निर्धारित किये जाने वाले राजकोषीय संकेतक:
 - (ग) धारा ४ के अंतर्गत वृहद् आर्थिक संरचना विवरण, मध्याविध राजकोषीय नीति विवरण तथा राजकोषीय नीति योजना विवरण का स्वरूप;

- (घ) थारा 5 की उपधारा (2) तथा (3) के अंतर्गत प्रकटीकरण का स्वरूप;
- (ड) अनुपालन लागू करने के उपाय;
- (च) अन्य कोई बात जो आवश्यक हो या विहित की जाए.
- 8. इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए प्रत्येक नियम राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जाएंगे.

नियमों का विधानमण्डल के समझ रखा जाना. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

- 9. इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए अथवा कर्तव्य का निर्वहन करते हुए राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अधिकारी अथवा अन्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावनापूर्वक की गयी अथवा किए जाने के लिए अशियत किसी कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.
- 10. इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत निर्मित किसी नियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निर्णय अथवा पारित आदेश के विरुद्ध वाद या कार्रवाई सिविल म्यायालय ग्रहण नहीं करेगा.

सिविल न्यायालय क्षेत्राधिकार का वर्जन.

11. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होगा तथा उसका अल्पीकरण नहीं करेगा.

अधिनियम किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं.

12. (1) यदि, इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने से कोई कठिनाई आती है तो राज्य सरकार राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर ऐसे प्रावधान कर सकती है जो कठिनाई को दूर करने के लिए जैसा कि आवश्यक हो इस विधेयक के उपवंधों के असंगत न हो. कठिनाइयां दूर करने की शक्तिः

परन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्ष की समाप्ति के बाद इस धारा के अंतर्गत कोई आदेश नहीं दिया जाएगा.

(2) इस धारा के अंतर्गत निर्मित प्रत्येक आदेश राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा.

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2005

क्रमांक 7066/21-अ/प्रारुपण/04.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्र. 16 सन् 2005) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. गोयल, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 16 of 2005)

THE CHHATTISGARH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGE-MENT ACT, 2005

A Bill to provide for the responsibility of the State Government to ensure prudence in fiscal management and fiscal stability by progressive elimination of revenue deficit, reduction in fiscal deficit, prudent debt management consistent with fiscal sustainability, greater transparency in fiscal operations of the Government and conduct of fiscal policy in a medium term framework and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh State Legislature in the fifty-sixth year of the Republic of India as follows:—

Short Title, extent and Commencement.	1.	(1)	This Act may be called the Chhattisgarh fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005.
		(2)	It extends to the whole of State of Chhattisgarh.
		(3)	It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.
Definitions. 2. In this Act, unless the context otherwise requi		In this Act,	unless the context otherwise requires:—
		(a)	"Budget" means the annual financial statement laid before the House of the State legislature under Article 202 of the Constitution.
•		(b)	"Current year" means the financial year preceding the ensuing year;
		(c)	"Ensuing year" means the financial year for which the budget is being presented;
•	•	(d)	"Financial year" means the year beginning on the 1st April and ending on 31st March next following;
	-	(e)	"GSDP" means Gross State Domestic Product at current market prices.
		(f)	"Fiscal deficit" means the excess of aggregate disbursements (net of debt repayments) over revenue receipts, recovery of loans and non-debt capital receipts, during a financial year;
		(g)	"Fiscal indicators" means such indicators as may be prescribed for evaluation of the fiscal position of the State Government;
		(h)	"Fiscal targets" means the numerical ceilings and proportions to total revenue receipts (TRR) or GSDP for the fiscal indicators;
		·(i)	"Prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;

"Previous year" means the year preceding the current year;

(j)

 (k) "Revenue deficit" means the difference between revenue expenditure and total revenue receipts (TRR);

Explanation:—"Total revenue receipts' (TRR) includes State's own revenue receipts (both tax and non-tax) and current transfers from the Centre (comprising grants and State's share of Central taxes);

- (I) "Total liabilities" means the liabilities under the Consolidated Fund of the State and the Public Account of the State and includes borrowings by the public sector undertakings and the special purpose vehicles and other equivalent instruments including guarantees where the principal or interest are to be serviced out of the State budget.
- (1) The State Government shall take appropriate measures to reduce the fiscal deficit and revenue deficit so as to eliminate revenue deficit by the 31st March, 2009 and bring fiscal deficit down to 3% of the GSDP by the 31st March 2009.

Fiscal management principles.

- (2) The State Government shall, by rules made by it, specify-
 - (a) the annual targets for the reduction of fiscal deficit and revenue deficit during the period beginning with the commencement of the Act and ending on 31st March, 2009.
 - (b) The annual targets of assuming contingent liabilities in the form of guarantees and the total liabilities as a percentage of GSDP.

Provided that revenue deficit and fiscal deficit may exceed the limits specified under this section on the ground or grounds of unforeseen demands on the finances of the State Government arising out of internal disturbance or natural calamity or such other exceptional grounds as the State Government may specify.

The State Government shall in each financial year lay before the State Legislature, the following statements of fiscal policy along with the annual financial statement and demands for grants, namely:—

Fiscal policy statements to be laid before the legislature.

- (a) The Macroeconomic Framework Statement;
- (b) The Medium Term Fiscal Policy Statement; and
- (c) The Fiscal Policy Strategy Statement.
- (2) The Macroeconomic Framework Statement shall contain an overview of the State economy, an analysis of growth and sectoral composition of GSDP, an assessment related to State Government finances and future prospects. In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions the macroeconomic framework statement shall contain an assessment relating to—
 - (i) The growth in the GSDP
 - (ii) The fiscal balance of the State Government as reflected in the revenue balance and gross fiscal balance.

- (3) (i) The Medium Term Fiscal Policy Statement shall set forth in such form as may be prescribed the fiscal management objectives of the State Government and three-year rolling targets for the prescribed fiscal indicators with clear enunciation of the underlying assumptions.
 - (ii) In particular and without prejudice to the provisions contained in subsection (1), the Medium Term Fiscal Policy Statement shall include the various assumptions behind the fiscal indicators and an assessment of sustainability relating to:—
 - (a) the balance between revenue receipts and revenue expenditure:
 - (b) the use of capital receipts including borrowings for generating productive assets;
- (4) The Fiscal Policy Strategy Statement shall be in such form as may be prescribed and shall contain, inter alia:—
 - (i) the fiscal policies of the State Government for the ensuing year relating to taxation, expenditure, borrowings and other liabilities, lending, investments, other contingent liabilities, user charges on public goods/utilities and description of other activities, such as guarantees and activities of Public Sector Undertakings which have potential budgetary implications;
 - (ii) the strategic priorities of the State Government in the fiscal area for the ensuing year;
 - (iii) the key fiscal measures and the rational for any major deviation in fiscal measures pertaining to taxation, subsidy, expenditure, borrowings and user charges on public goods/utilities; and
 - (iv) an evaluation of the current policies of the State Government vis-a-vis the fiscal management principles set out in Section 3 and the fiscal objectives set out in the Medium-Term Fiscal Policy Statement in subsection 3 (1) of section 4.

Measures for Fiscal 5, (1) Transparency.

The State Government shall take suitable measures to ensure greater transparency in its fiscal operations in the public interest and minimise as far as practicable, secrecy in the preparation of the annual financial statement and demands for grants.

- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the State Government shall, at the time of presentation of the budget, make disclosures on the following, along with detailed information in such forms as may be prescribed:
 - the significant charges in the accounting standards, policies and practices affecting or likely to affect the computation of fiscal indicators;
 - (ii) details of borrowings by way of Ways and Means Advances/Overdraft availed of from the Reserve Bank of India.

- (3) Whenever the State Government undertakes to unconditionally and substantially repay the principal amount and/or pay the interest of any separate legal entity, it has to reflect such liability as the borrowing of the State in such form as may be prescribed.
- (4) The State Government shall in each financial year lay before the State Legislature the special statements along with the budget giving in detail the number of employees in Government, public sector and aided institutions and related salaries.
- 6. (1) The Minister-in-Charge of the Department of Finance (hereinafter referred to as Minister of Finance) shall review, every quarter, the trends in receipts and expenditure in relation to the budget estimates and place before the State Legislature, the outcome of such reviews.

Measures to Enforce Compliance.

(2) Whenever there is either short fall in revenue or excess of expenditure over the intra-year targets mentioned in the Fiscal Policy Strategy Statement or the rules made under this Act, the State Government shall take appropriate measures for increasing revenue and/or for reducing the expenditure including curtailment of the sums authorised to be paid and applied form out of the Consolidated Fund of the State.

Provided that nothing in this sub-section shall apply to the expenditure charged on the Consolidated Fund of the State under clause (3) of Article 202 of the Constitution or any other expenditure, which is required to be incurred under any agreement or contract, which cannot be postponed or curtailed.

- (3) Except as provided under this Act, no deviation in meeting the obligations cast on the State Government under this Act, shall be permissible without approval of Legislature.
 - (ii) Where owing to unforeseen circumstances, any deviation is made in meeting the obligations cast on the State Government under this Act, the Minister of Finance shall make a statement in the State Legislature explaining:—
 - (a) such deviation in meeting the obligations cast on the State Government under this Act;
 - (b) whether such deviation is substantial and relates to the actual or the potential budgetary outcomes; and
 - (c) the remedial measures the State Government proposes to take.
- 7. (1) The State Government may, make rules for carrying out the provisions of the Act.

Power to Make Rules.

- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—
 - (a) the annual targets to be specified under sub-section (2) of section 3;
 - (b) The fiscal indicators to be prescribed for the purpose of the sub-section (3)(i) of section 4;
 - (c) The forms of the Macroeconomic Framework Statement, Medium-Term Fiscal Policy Statement and Fiscal Policy Strategy Statement under section 4:

- (d) The forms for disclosure under sub-section (2) and sub-section (3) of section 5:
- (e) Measures to enforce compliance; and
- (f) Any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

Rules to be laid before legislature. 8. Every rule made under this Act shall be laid before the State Legislature.

Protection of action taken in good faith.

9. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer of the State Government or any other person exercising any power or discharging any function or performing any duty under this Act, for anything done in good faith or intended to be done under this Act or any rule made thereunder.

Bar of Jurisdiction of Civil Courts.

10. No Civil court shall entertain any suit or proceeding against any decision made or order passed by any officer or authority under this Act or any rule made thereunder.

Act not in derogation of any other law.

11. The Provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force.

Power to remove difficulties.

12.

(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of the Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act as may be deemed necessary for removing the difficulty.

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of the Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, before the State Legislature.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to provide for the responsibility of the State Government to ensure fiscal and financial stability and sustainability by achieving sufficient revenue surplus, reducing fiscal deficit and prudent debt management through limits on State Government borrowings, government guarantees, greater transparency in fiscal operations of the State Government and use of a medium term fiscal framework, it was considered necessary to enact a law.

Hence this bill.

Raipur

Date

, 2005.

Member-in-charge

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 120]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 मार्च 2006-- चैत्र 10, शक 1928

ं विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2006

क्रमांक 2773/21-अ/प्रारुपण/04 .—छत्तीसगंद विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29-3-2006 को राज्यपाल की •अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वास सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **विमला सिंह कपूर,** उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 15 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2006

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम्, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :---

संक्षिप्त नाम एवं विस्तार.

- (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जावेगा.
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा-3 का संशोधन.

- 2. छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा-3 के स्थान ्पर निम्नलिखित स्थापित किया जाये, अर्थात् :—
- 3 (1) "वार्षिक लक्ष्य:—राज्य सरकार 31 मार्च, 2009 तक राजस्व घाटे को कम करने के समुचित उपाय करेगी. राज्य वर्ष 2005–06 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में नाममात्र राजस्व अधिशेष बनाये रखने का सभी प्रयास करेगी, परन्तु किसी भी परिस्थित में राज्य निम्नानुसार राजस्व घाटे को अधिक नहीं बढ़ायेगी:—

2005-06 - रुपये 253.20 करोड़ 2006-07 - रुपये 168.80 करोड़ 2007-08 - रुपये 84.40 करोड़ 2008-09 एवं आगे - रुपये शुन्य राजस्व घाटा

- (2) राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष 2005-06 से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष 2004-05 के वास्तविक वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत का जितना हिस्सा 3 प्रतिशत से अधिक है, उसका कम से कम एक चौथाई राशि तक वित्तीय घाटा कम करेगी ताकि वित्तीय घाटा मार्च, 2009 के अंत तक जी.एस.डी.पी.के. 3 प्रतिशत से अनिधक तक लाया जा सके.
- (3) राज्य सरकार वर्ष 2005-06 से प्रारंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिये नई गारंटी सामान्य शर्ती पर सकल घरेलू उत्पाद के 1.5 प्रतिशत अथवा जोखिम भारित आधार पर 0.5 प्रतिशत जो भी कम हो कि सीमा से अधिक की नहीं देगी.
- (4) राज्य सरकार वर्ष 2005-06 से प्रारंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिये सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत से अधिक का अतिरिक्त कुल दायित्व अनुमानित नहीं करेगी.

परन्तु आंतरिक व्यवधान अथवा प्राकृतिक आपदाओं या कोई ऐसा विशिष्ट आधार जिसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, के कारण राज्य के वित्त पर अप्रत्याशित मांगों के आधार या आधारों पर, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा इस उपबंध में विनिर्दिष्ट सीमाओं से इस शर्त के अध्यधीन बढ़ सकेगा.''

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2006

क्रमांक 2773/21-अ/प्रारुपण/04.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2006 (क्र. 15 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विमला सिंह कंपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 15 of 2006)

THE CHHATTISGARH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 2006

An Act to amend the Chhattisgarh Fiscal Responsibility And Budget Management Act, 2005 (No. 16 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh State Legislature in the fifty-seventh year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2006.

Short title and commencment.

- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. For section 3 of the Chhattisgarh Fiscal Responsibility and Budget Management Act (No. 16 of 2005), the following shall be substituted namely:—

Amendment of section 3.

3. (1) Annual targets:—By the 31st day of March 2009, the State Government shall take appropriate measures to reduce the revenue deficit. The State shall make every endeavour to maintain nominal revenue surplus in each financial year beginning with 2005-06 but however, under no circumstance, the state should exceed revenue deficit as below:—

2005-06 - Rs. 253.20 crore 2006-07 - Rs. 168.80 crore 2007-08 - Rs. 84.4 crore 2008-09 and after. - Zero revenue deficit.

(2) The State Government shall reduce fiscal deficit every year beginning with financial year 2005-06 by an amount atleast equivalent to one fourth of what actual fiscal deficit as a percentage of GSDP exceeds 3% in the financial year 2004-05, so that fiscal deficit is brought down to not more than 3 percent of GSDP at the end of March, 2009.

- (3) The State Government shall not give new guarantees, in any financial year beginning with the financial year 2005-06, in excess of 1.5 percent of GSDP in nominal terms or 0.5% of GSDP on risk weighted basis, whichever is lower.
- (4) The State Government shall not assume additional total liabilities in excess of 5 percent of GSDP for any financial year beginning with 2005-06.

Provided that revenue deficit and fiscal deficit may exceed the limits specified under this section on the ground or grounds of unforeseen demands on the finances of the State Government arising out of internal disturbance or natural clamity or such other exceptional grounds as the State Government may specify".

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-इस्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 275]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 सितम्बर 2011-आश्विन 6, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2011

क्रमांक 7026/डी. 190/21-अ/प्रारू/छ. ग./11.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24-09-2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 20 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभः

1.

- (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलायेगा.
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ राज्य में होगा.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ३ का संशोधन.

- 2. छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 3 की उप-धारा (1), (2) एवं (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारायें प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् :—
 - "(1) वार्षिक लक्ष्य:— राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2017-12 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटा निम्नानुसार रखेगी—

2011-12 — शून्य 2012-13 — शून्य 2013-14 — शून्य 2014-15 — शन्य

(2) राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वास्तविक वित्तीय घाटा एवं सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत निम्नानुसार रखेगी—

> 2010-11 — 3 प्रतिशत 2011-12 — 3 प्रतिशत 2012-13 — 3 प्रतिशत 2013-14 — 3 प्रतिशत 2014-15 — 3 प्रतिशत

(4) (एक) राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कुल ऋण दायित्व तथा सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत निम्नानुसार रखेगी—

 2010-11
 —
 22.00 प्रतिशत

 2011-12
 —
 22.50 प्रतिशत

 2012-13
 —
 23.00 प्रतिशत

 2013-14
 —
 23.50 प्रतिशत

 2014-15
 —
 23.90 प्रतिशत

(दो) राज्य सरकार वर्ष 2011-12 से प्रारंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिये सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत से अधिक का अद्विरिक्त कुल दायित्व अनुमानित नहीं करेगी परन्तु आंतरिक व्यवधान अथवा प्राकृतिक आपदाओं या कोई ऐसा आपवादिक आधार जिसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, के कारण राज्य शासन के वित्त पर अप्रत्याशित मांगों के आधार या आधारों पर, राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा, इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं से बढ़ सकेगा."

3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—

धारा 6 का संशोधन.

- "6 (1) (क) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री (जो इसमें इसके पश्चात् वित्त मंत्री के रूप में निर्दिष्ट है) प्रत्येक तिमाही में बजट अनुमानों के संदर्भ में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा करेंगे और ऐसी समीक्षाओं के निष्कर्ष राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जायेंगे.
 - (ख) धारा 3 में विहित राजकोषीय संकेतकों की समीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यथा अधिसूचित राज्यस्तरीय समिति द्वारा वर्ष में कम से कम दो बार की जाएगी."
- 4. छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रवंध (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (क्रमांक 2 सन् 2011) निरसनः एतदुद्वारा निरसित किया जाता है.

सयपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2011

क्रमांक 7026/डी. 190/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 20 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव

CHHATTISGARH ACT (No. 20 of 2011)

THE CHHATTISGARH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET, MANAGE-MENT (AMENDMENT) ACT, 2011

An Act further to amend the Chhattisgarh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (No. 16 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh State Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

Short title, extent and commencement.

1.

2.

- (1) This Act may be called the Chhattisgarh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2011.
 - (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.
 - (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Guzette.

Amendment of Section 3.

- For sub-section (1), (2) and (4) of Section 3 of the Chhattisgarh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (No. 16 of 2005) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following sub-sections shall be substituted, namely:—
 - "(1) Annual targets:— The State Government shall maintain revenue deficit every year, beginning from financial year 2011-12, as below —

2011-12	-	Zero
2012-13	-	Zero
2013-14	-	Zero
2014-15	-	Zero

(2) The State Government shall maintain actual fiscal deficit as percentage of gross State domestic product every year, beginning from financial year 2010-11, as below—

2010-11	-	3%
2011-12	-	3%
2012:13	÷	3%
2013-14	-	3%
2014-15	<u>-</u> 7	3%

(4) (i) The State Government shall maintain total outstanding debts percentage of gross State domestic product every year, beginning from financial year 2010-11, as below—

2010-11	-	22.00%
2011-12	-	22.50%
2012-13	-	23.00%
2013-14		23.50%
2014-15	-	23.90%

(ii) The State Government shall not assume additional total liabilities in excess of 5 percent of GDP for any financial year beginning 2011-12:

Provided that revenue deficit and fiscal deficit may exceed the limits specified under this Section on the ground of grounds of unforeseen demands of the finances of the State Government arising out of internal disturbance or natural calamity or such other exceptional grounds as the State Government may specify." For sub-section (1) of Section 6 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:— Amendment of Section 6.

- "6 (1) (a) The Minister-in-Charge of the Department of Finance (hereinafter referred to as Minister of Finance) shall review, every quarter, the trends in receipts and expenditure in relation to the budget estimates and place before the State Legislature, the outcome of such reviews.
 - (b) Fiscal targets mentioned in the Section 3 shall be reviewed atleast twice in a year by the state level committee headed by Chief Secretary of the State as notified under the provisions of the Act."
- 4. The Chhattisgarh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Ordinance, 2011 (No. 2 of 2041) is hereby repealed.

Repeat.



"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ्/दुर्ग/09/2013-2015.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 190]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 5 मई 2016 — वैशाख 15, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मई 2016

क्रमांक 4446/डी. 149/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 02-05-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 19 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सङ्सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम तथा 1. प्रारंभ.
- यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- धारा 3 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्र. 16 सन् 2005) की धारा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-
 - "3. राज्य सरकार, नियमों द्वारा, भारत के राष्ट्रपित द्वारा गठित वित्त आयोग द्वारा राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियमों के लिए सुझाये गये राजकोषीय नियम विनिर्दिष्ट करेगी."

राजकोषीय नियम."

रायपुर, दिनांक 5 मई 2016

क्रमांक 4446/डी. 149/21-अ/प्रारू./छ. ग./16 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 19 of 2016)

THE CHHATTISGARH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 2016

An Act further to amend the Chhattisgarh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (No. 16 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

- This Act may be called the Chhattisgarh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2016.
- Short title and commencement.
- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. For Section 3 of the Chhattisgarh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (No. 16 of 2005), the following shall be substituted, namely:-

Amendment o
Section 3.

"3. The State Government shall, by rules, specify the fiscal rules suggested for the Fiscal Responsibility and Budget Management Acts of States by the Finance Commission constituted by the President of India." Fiscal Rules."

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छ्प्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 169]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 मार्च 2021 — फाल्गुन 12, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 मार्च 2021

क्रमांक 3323/डी. 34/21-अ/प्रारू./छ. ग./21. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 20-02-2021 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 3 सन् 2021)

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्र. 16 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
- (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा.
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
- (3) यह भूतलक्षी प्रभाव से 1 मार्च, 2020 से प्रवृत्त होगा.
- धारा 3 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्र. 16 सन् 2005) की धारा 3 पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु यह कि वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिये राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि आंतरिक व्यवधान अथवा प्राकृतिक आपदाओं या कोई ऐसे विशिष्ट आधार, जिसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, के कारण राज्य के वित्त पर अप्रत्याशित मांगों के आधार या आधारों पर राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और कुल दायित्व, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के अनुसार इस उपबंध में विनिर्दिष्ट सीमाओं से बढ़ सकता है."

अटल नगर, दिनांक 3 मार्च 2021

क्रमांक 3323/डी. 34/21-अ/प्रारू./छ. ग./21.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 3-3-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

(No. 3 of 2021)

THE CHHATTISGARH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 2020

An Act further to amend the Chhattisgarh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (No. 16 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy First Year of the Republic of India, as follows:-

- 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Fiscal Responsibility and Short title, extent Budget Management (Amendment) Act, 2020.
 - (2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.
 - (3) It shall come into force with retrospective effect from the 1st day of March, 2020.
- 2. After Section 3 of the Chhattisgarh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (No. 16 of 2005), the following shall be added, namely:-

Amendment of Section 3.

"Provided that fiscal deficits for the financial years 2019-20 and 2020-21 shall not exceed five percent of Gross Domestic Product:

Provided further that revenue deficit, fiscal deficit and total liabilities as percentage of Gross Domestic Product may exceed the limits specified under this provision on the ground or grounds of unforeseen demands on the finances of the State arising out of internal disturbance or natural calamity or such other exceptional grounds as the State Government may specify."